अध्याय III

लाइसेंस जारी करना

अध्याय III: लाइसेंस जारी करना

शराब की आपूर्ति से संबंधित खुदरा और थोक संचालन के लिए दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिये जाते हैं और संबंधित लाइसेंस श्रेणी के लिए "लाइसेंस देने हेतु नियम और शर्तों" में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर वार्षिक रूप से पुनः जारी या नवीनीकृत किया जाता है। "नियम और शर्तों" का आबकारी अधिनियम, 2009 और आबकारी नियमावली, 2010 के प्रासंगिक परिचालन प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने से पहले अनुपालन जांच में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाइसेंसधारी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से व्यवसाय करता हो तथा उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो और वह शोधन-क्षम हो इत्यादि।

लेखापरीक्षा में कई अनियमितताएं पाई गई संबंधित पार्टियों को लाइसेंस जारी किए गए जोकि दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 35 का उल्लंघन था। आबकारी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, विभाग ने लाइसेंसधारी से अपराधिक पृष्ठभूमि, कर्मचारियों की आयु, आदि की शर्तों जैसे मामलों पर केवल एक हलफनामा लिया है। अन्य राज्यों द्वारा वर्ष भर में घोषित बिक्री और थोक मूल्य, के संबंध में डेटा प्रस्तुत न करने के बावजूद लाइसेंस जारी किए गए थे।

3.1 परिचय

विभाग दिल्ली में शराब आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों को निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।

चार्ट 3.1: लाइसेंस के प्रकार[23]

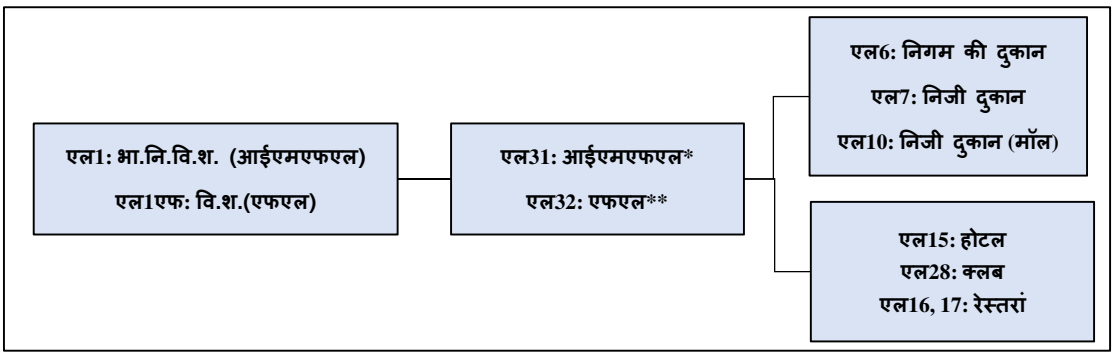

** एल31 की एल1 के बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए दिया गया है, ** एल32 को एल1एफ के बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए दिया गया है।*

[23] ये लाइसेंस के प्रकार 17 नवंबर 2021 और 31 अगस्त 2022 के बीच प्रभावी आबकारी नीति व्यवस्था के अतिरिक्त अवधि के लिए लागू थी। आबकारी नीति 2021-22 की अवधि हेतु लाइसेंस के प्रकारों का उल्लेख अध्याय VIII में किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा उचित लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण के लिए हर साल इच्छुक पार्टियों को आवेदन करना होता है। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए 59 लाइसेंसधारियों का चयन किया था, जिन्हें 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से केवल 46 लाइसेंसधारियों[24] से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। इन 46 लाइसेंसधारियों को लाइसेंस जारी करने/नवीकरण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में विभिन्न अनियमितताएँ पायी गयी। जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

अनुशंसा 3.1: 13 लाइसेंसधारियों की लेखापरीक्षा से संबंधित अभिलेखों की गैर प्रस्तुति के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिए।

3.2 संबंधित पक्षों को लाइसेंस अनियमित रूप से जारी करना

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का नियम 35 निम्नलिखित निर्धारित करता है:

- किसी भी व्यक्ति को एक[25] से अधिक थोक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- थोक लाइसेंस धारक को शराब की खुदरा बिक्री[26] के लिए और खुदरा लाइसेंसधारक को शराब की थोक बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- परिसर के बाहर शराब के सेवन के लिए कोई खुदरा लाइसेंस किसी अन्य खुदरा लाइसेंस रखने वाले[27] व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

सभी लाइसेंसधारियों को सभी निदेशकों, भागीदारों आदि के नाम घोषित करने[28] और एक भागीदार को जोड़ने और हटाने तथा इस संबंध में एक शपथ पत्र[29] प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उपर्युक्त प्रावधानों को मुख्य रूप से एकाधिकार के गठन को रोकने और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुसार शराब के ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

---

[24] 11 एल1, 3 एल1 एफ, 8 एल6, 4 एल7, 8 एल10, 12 एचसीआर

[25] बशर्ते कि फॉर्म एल-1 में लाइसेंस धारक को फॉर्म एल1एफ में लाइसेंस दिया जा सकता है: बशर्ते कि फॉर्म एल-1 और एल-9 में लाइसेंस के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक डिस्टिलरी, ब्रूवरी, वाइनरी और बॉटलिंग प्लांट को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा।

[26] परिसर के "बंद" उपभोग के लिए और परिसर में "खुला" उपभोग के लिए; बशर्ते कि एल-1 लाइसेंस धारक को फॉर्म एल-9 में उसके द्वारा उत्पादित ब्रांडों की खुदरा बिक्री के लिए विशेष रूप से लाइसेंस दिया जा सकता है।

[27] बशर्ते कि फॉर्म एल-6, एल-8 और एल-14 में एक से अधिक लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं

[28] दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 37 और नियम 38

[29] दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 23 और 35 के तहत, आवेदक को आवेदन की तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी लाइसेंस धारी के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है।

लिए तथाकथित शामिल किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखे गए मामले जहाँ संबंधित पक्षों[30] को एक से अधिक लाइसेंस जारी किए गए को **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: संबंधित पक्षों को एकाधिक लाइसेंस

<table>
<tr><th>नियम का उल्लंघन</th><th colspan="6">लाइसेंसधारी का नाम और प्रकार</th><th>टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td rowspan="4">एक दूसरे से संबंधित थोक लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">(क)</td><td colspan="3">(ख)</td><td rowspan="2">उसी वर्ष में (2019-20, 2020-21 के लिए) सामान्य निदेशक साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td colspan="3">एडी ब्रोसवॉन ब्रिवरीज प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td><td colspan="3">एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">इंडोस्पिरिट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (एल1एफ)</td><td colspan="3">इंडोस्पिरिट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एल1एफ)</td><td>उसी वर्ष (2017-18, 2018-19 के लिए) में सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">खुदरा बिक्री लाइसेंसधारियों से संबंधित थोक लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">बद्दी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td><td colspan="3">बद्दी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
वीतराग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2018-19, 2019-20 के लिए) में सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td colspan="3">इंडो-स्पिरिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (एल 1),
इंडो-स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (एल1एफ),
इंडो-स्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एल1एफ)</td><td colspan="3">इंडो-स्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआर),
ए2जेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए) सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">एक दूसरे से संबंधित खुदरा बिक्री लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआर);</td><td colspan="3">ए2जेड ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2017-18 के लिए) सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशकों के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td>बद्दी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>वीतराग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>निदेशक (ओं) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था। उसी वर्ष (2017-18 के लिए) सामान्य निदेशक।</td></tr>
</table>

** उसी वर्ष में सामान्य निदेशकों की सूची **अनुलग्नक III** में दी गई है।*

*** लाइसेंस जारी करने से पहले पांच साल की अवधि में जुड़े निदेशकों की सूची **अनुलग्नक IV** में दी गई है।*

[30] सामान्य निदेशकों

तालिका 3.1 में, सैल (क) में उल्लिखित लाइसेंसधारी उसी पंक्ति के सैल (ख) में उल्लिखित लाइसेंसधारियों से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा ने लाइसेंस जारी करने और समाप्ति तिथियों के लिए इएससीआइएमएस के डेटा का उपयोग किया है; तथा निदेशकों की नियुक्ति की मूल तिथि और समाप्ति की तिथि की सूची के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट से डेटा का इस्तेमाल किया।

तालिका 3.1 की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित छः लाइसेंसधारी (एल10) सामान्य निदेशक से संबंधित पाए गए। सभी मामलों में कंपनी का ईमेल डोमेन, जैसाकि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी के मेल पते में दिखाया गया था, वही था। कुछ मामलों में, कंपनी का ई-मेल पता भी वही था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि तत्काल मामलों में नियम 35 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि तालिका में उल्लिखित सभी छः थोक लाइसेंसधारी अलग-अलग संस्थाओं से थे और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो अलग-अलग कंपनियों में सामान्य निदेशक निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में, जिन कंपनियों ने अपना लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत किया था, उनके लिए यह पाया गया कि निदेशकों ने सहयोगी कंपनी को असुरक्षित ऋण दिया था और मूल शेयरधारक थे। कंपनियों को संबद्ध कंपनी के रूप में भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एल7 और एल10 के मामले में, यह नियमों और शर्तों का भी स्पष्ट उल्लंघन था कि एल1 लाइसेंस रखने वाले किसी भी डिस्टिलरी में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एल7/एल10 लाइसेंस नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि लाइसेंसधारियों के अन्य समूह (एल-7 और एल-10) भी थे, जिनके पास संबंधित दुकानों का मालिकाना हक भी था और जो संबंधित भी हो सकते थे। ऐसे पांच मामले थे, जिनमें दो या दो से अधिक लाइसेंसधारियों के समान लाइसेंसधारी नाम थे जिसका विवरण **अनुलग्नक V** में दिया गया है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल7 लाइसेंस वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदान किए गए थे और उस वर्ष के नियम और शर्तों (नि. एंड श.) के खंड 1.4 के अनुसार, दिल्ली में एक राजस्व जिले में दो एल-52 (अब एल7) लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं और राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली में कुल सात लाइसेंस प्राप्त हो सकते थे। इसलिए नियम 35 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 उपर्युक्त नियमों और शर्तों के बाद अधिनियमित किए गए थे इसलिए नियम 35 को नियम एवं शर्तों पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण की शर्तों के खंड 6 में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन होना चाहिए। इस प्रकार यह, नियम 35 का स्पष्ट उल्लंघन था।

अनुशंसा 3.2: सरकार को दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइसेंसों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार को इन सभी मामलों की भी जांच करनी चाहिए और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन मे लाइसेंसधारियों के बीच संबंध स्थापित करने वाली जानकारी की अनदेखी के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित पक्षों को एकाधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए।

3.3 अपराधिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) के अनुसार, एक लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी करने के तीस दिन के भीतर जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस देने के लिए अपने नियमों और शर्तों में ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता की अनदेखी की गई और इसके बजाय अनुपालन के संबंध में केवल एक हलफनामा/ब्यौरा मांगा गया। इस प्रकार, 2017-21 की अवधि के लिए नमूना-जांच किए गए 46 लाइसेंसधारियों में से किसी के भी अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने आबकारी विभाग को एक शिकायत के माध्यम से एक लाइसेंसधारी के खिलाफ एफ.आई.आर. की प्रति दी, जबकि विभाग को एफ.आई.आर. के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। तत्पश्चात शुरू में सितंबर 2018 में लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था क्योंकि लाइसेंसधारी एफआईआर और कई अन्य

आपत्तियों के बारे में सूचित करने में विफल रहा था। लेकिन दिनांक 6 नवंबर 2018 के आदेश में ₹ 8 लाख का जुर्माना लगाकर लाइसेंस बहाल कर दिया गया।

इस प्रकार, लाइसेंसधारियों की पात्रता को सत्यापित किए बिना लाइसेंस जारी किए गए, जिससे आबकारी विभाग को आवेदक के वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में अंधेरे में रहा।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सभी लाइसेंसधारियों से इस आशय का एक वचन पत्र/शपथ पत्र लिया गया था कि धारा 13(1)(सी) के अनुपालन में उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अन्य मामला लंबित नहीं है। इसके अलावा, यदि शपथ पत्र झूठा/फर्जी पाया गया तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता था और लाइसेंसधारी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आबकारी विभाग ने अच्छे नैतिक चरित्र और कोई अपराधी रिकॉर्ड न होने के संबंध में लाइसेंसधारी से स्व-शपथ पत्र लिया जो प्रमाण पत्र जिलें के अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से प्राप्त करना था जिसके कारण दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) का अक्षरशः पालन नहीं किया।

अनुशंसा 3.3: आबकारी विभाग द्वारा सभी लाइसेंसधारियों के लिए इस अपराधिक पृष्ठभूमि को सत्यापित किया जाना चाहिए और दिल्ली आबकारी अधिनियम का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नियम और शर्तों के खंड जो आबकारी अधिनियम और नियमों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

3.4 जारी किए गए लाइसेंस के अनुवीक्षण के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की गैर-अनुपालना

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 के लिए एक एल1 लाइसेंसधारी (एडीएस स्पिरिट्स) के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए, उपायुक्त (आबकारी) ने लाइसेंसधारी से संबंधित जब्त की गई शराब का डेटा मांगा (अगस्त 2019)। तदनुसार, पिछले वर्ष में जब्त की गई शराब का डेटा प्रदान किया गया, जिससे पता चला कि एनडीपीएल/अवैध शराब के लिए ईआईबी द्वारा दर्ज (अगस्त 2018 से अगस्त 2019 तक) कुल 736 एफआईआर में से 307 एक लाइसेंसधारी के ब्रांड्स की थीं। 2018-20 के दौरान, कुल जब्त की गई 1,08,704 बोतलों में से, 49640 बोतलें (अर्थात् 46 *प्रतिशत*) लाइसेंसधारी द्वारा पंजीकृत ब्रांड से संबंधित थी।

जब्त की गई शराब के मामलों में इस लाइसेंसधारी की प्रधानता के बावजूद विभाग ने उसकी संलिप्तता की जांच किए बिना लाइसेंस का नवीकरण किया उपायुक्त (आबकारी) के इस निर्देश के साथ कि इस लाइसेंसधारी की तिमाही के आधार पर अनुविक्षण की जाएगी। हालांकि, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंसधारियों के बजाय व्यक्तिगत/वाहनों के व्यक्तियों के नाम पर शराब तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और जब्त किए गए ब्रांड दिल्ली में पंजीकृत नहीं थे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबकारी विभाग के कार्मिकों ने लाइसेंसधारी के प्रत्येक तीन महीनों की गतिविधियों के अनुवीक्षण करने के उपायुक्त (आबकारी) के निर्देशों को नज़रअंदाज किया था। प्रवर्तन रजिस्टरों ने उसके बाद दर्शाया कि लाइसेंसधारी के प्रति एक निरीक्षण भी कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा यहाँ तक कि विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों ने निर्देशों का पालन भी नहीं किया।

3.5 लाइसेंसधारियों की शोधनक्षमता सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) (लाइसेंस देने की योग्यता) के अनुसार, लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि लाइसेंसधारी में शोधनक्षमता है।

तदनुसार, लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट राशि के लिए नियम तथा शर्तों का एक शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था जैसाकि **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता

लाइसेंस के प्रकार	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता
एल1	एसडीएम के पद अथवा ऊपर के पद के मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित दो लाख रुपये तक का शोधनक्षमता का प्रमाणपत्र
एल1एफ	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
एल7	मूल शर्तों पर नवीनीकरण, जिसमें ₹ 25 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र शामिल था
एल10	एसडीएम/वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी ₹ 50 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र
एल 6	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंसधारियों के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता सुसंगत नहीं थी, जैसा कि नीचे बताया गया है।

- थोक विक्रेताओं में जहां एल1 लाइसेंसधारियों को ₹ 2 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था, वहीं एल1एफ लाइसेंसधारियों को इस तरह का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह अनुचित और असंगत प्रतीत होता है, उनके लिए एक अधिक उदार नियम स्थापित करके विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों के पक्ष में एक पूर्वाग्रह दिखा रहा है।
- थोक व्यापारी की व्यापार की क्षमता एक खुदरा विक्रेता की तुलना में बहुत अधिक है, हालांकि, एल10 खुदरा विक्रेता से मांग की गई शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की राशि (₹ 50 लाख) एक थोक व्यापारी (₹ 2 लाख) से मांग की गई राशि की तुलना में 25 गुना अधिक थी, जो अनुचित और तर्क से रहित प्रतीत होती है।
- आबकारी विभाग एल7 लाइसेंसधारियों को नियम एवं शर्तों जो प्रारंभ में (लाइसेंस जारी करने के समय) लागू थे, के आधार पर नवीकृत कर रहा था, अर्थात, ₹ 25 लाख के शोधनक्षमता प्रमाणपत्र के साथ। हालांकि, नए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र लिए बिना लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया।
- शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी। उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट देने के कारण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, केवल एल1, एल7 और एल10 लाइसेंसधारियों को क्रमशः ₹ 2 लाख, ₹ 25 लाख और ₹ 50 लाख के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने 11 एल1 लाइसेंसधारियों, चार एल7 लाइसेंसधारियों और आठ एल10 लाइसेंसधारियों के अभिलेखों की जांच की, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या लाइसेंसधारी द्वारा अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया और लाइसेंस जारी करने/नवीकरण से पहले विभाग द्वारा विचार किया गया।

इन 23 लाइसेंसधारियों से संबंधित 84 मामलों की वर्ष 2017-21 की जांच से पता चला कि केवल दो मामलों में, लाइसेंसधारियों ने इन लाइसेंसों के नियमों और शर्तों के अनुसार अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 80 मामलों में, लाइसेंसधारी अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल

रहे थे और शेष दो मामलों में, लाइसेंसधारी ने उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

आवेदक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण है। हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता की उपेक्षा की गई तथा अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के बावजूद आवेदकों को अंधाधुंध लाईसेंस जारी किये गये।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अधिकांश एल-1 लाइसेंस धारक दिल्ली में कई वर्षों से लाइसेंसधारी थे। एल-1 द्वारा इम्पोर्ट परमिट (आईपी) प्रस्तुत करते ही आबकारी शुल्क अग्रिम ली जाती थी। इसके अलावा यह उल्लेख किया गया था कि, सरकारी राजस्व को कई तरह से जैसे सभी पंजीकृत ब्रांडों के लिए सावधि जमा प्रमाणपत्र लेना, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आईपी/बार कोड आदि के लिए विभिन्न शुल्क/शुल्क का भुगतान करने के लिए अग्रिम राशि संरक्षित की गई थी। जवाब में आगे आश्वासन दिया गया कि अनुमोदित आबकारी नीति तथा नियम और शर्तों के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, शोधनक्षमता प्रमाणपत्र ले लिए जाएंगे।

होटल, क्लब और रेस्तरां के संबंध में (एचसीआर) यह कहा गया था कि शोधनक्षमता प्रमाणपत्र नियम एवं शर्तों, आबकारी नियमों और नीति के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 ने विदेशी शराब के दीर्घकालिक लाइसेंसधारियों और प्रमुख आयातकों को शोधनक्षमता प्रमाणपत्र से कोई छूट प्रदान नहीं की।

3.6 यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना कि लाइसेंसधारी पर कोई सरकारी बकाया नहीं है

दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाइसेंसधारी का कोई सरकारी या सार्वजनिक बकाया नहीं है। इसके अलावा आबकारी विभाग और डी वी ए टी विभाग से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एल1 लाइसेंस के नियमों और शर्तों में उचित खंड शामिल किए गए है। परंतु, खुदरा लाइसेंसधारी (एल-7 और एल-10) के नियमों और शर्तों में ऐसा

कोई खंड शामिल नहीं किया गया था, इसके विपरीत आवेदक से एक शपथपत्र मांगा गया था कि उनके खिलाफ कोई सरकारी बकाया नहीं था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एल7 और एल10 लाइसेंसधारियों को निर्धारण आदेश के साथ आयकर निकासी प्रमाणपत्र या नवीनतम आईटीआर जमा करना आवश्यक था, जबकि एल1 और एल1एफ को आईटीआर के साथ निर्धारण आदेश जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि आबकारी विभाग ने आईटीआर के माध्यम से, कर निर्धारण आदेश को सत्यापित किए बिना, यह कैसे सुनिश्चित किया कि आयकर विभाग के प्रति एल1 तथा एलएफ लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई बकाया लम्बित नहीं था। इस तरह की कमियां धारा 13 (1) (डी) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।

तालिका 3.3: एल-1, एल-7 और एल-10 लाइसेंसधारियों द्वारा अदेय प्रमाणपत्र जमा करने की स्थिति (2017-21 की अवधि के लिए 23 लाइसेंसधारियों के 84 मामलों से संबंधित)

	वैट विभाग से अदेय प्रमाणपत्र	आबकारी विभाग से अदेय प्रमाणपत्र
प्रस्तुत	14	0
प्रस्तुत नहीं किया गया/फाईल में नहीं मिला	22 (त्रैमासिक रिटर्न का प्रमाणपत्र फाइल किया गया) 48 (प्रस्तुत नहीं किया गया/नहीं मिला)	84

विशेष रूप से, आबकारी विभाग ने स्वयं एक भी बकाया राशि का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि लाइसेंसधारियों पर कोई भी सरकारी या सार्वजनिक बकाया नहीं था यह स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के बावजूद धारा 13 (1) (डी) के उल्लंघन में इन लाइसेंसधारियों को आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किए थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल-1 लाइसेंस के आवेदक को पिछले वर्ष के आयकर विवरणी/निर्धारण आदेश की प्रति, कंपनी/फर्म के पैन कार्ड की प्रति, आबकारी विभाग के संबंध में कोई बकाया नहीं होने का शपथ पत्र तथा वैट अधिकारी द्वारा जारी अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे। इसके अलावा, सरकार ने अपने जवाब में सुनिश्चित किया कि कोई भी लाइसेंस तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी विभाग को सभी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2017-18 से 2020-21 तक एल-1 लाइसेंस के नियम और शर्तों के अनुबंध-I के खंड एफ (iii) के अनुसार, आवेदक को उपायुक्त (आबकारी), दिल्ली द्वारा जारी एक अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में हलफनामे का उल्लेख करके इस तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। यहां तक कि जवाब भी अधूरा है क्योंकि सरकार ने आवेदक द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना लाइसेंस जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया।

3.7 लाइसेंसधारियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (जी) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस बात का ध्यान होगा कि आवेदक किसी ऐसे सेल्समैन या प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करेगा जो

- अपराधिक पृष्ठभूमि का है, या
- किसी संक्रामक और छूत की बीमारी से पीड़ित है, या
- 21 वर्ष से कम आयु का है।

इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, कोई भी लाइसेंसधारी 21 वर्ष से कम आयु के या छूत की बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अपने परिसर में नियुक्त या नियोजित करने की अनुमति नहीं देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आबकारी विभाग ने "लाइसेंस देने के नियम और शर्तों" में कर्मचारियों की अपराधिक पृष्ठभूमि की जांच और संक्रामक/संक्रामक रोगों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है और लाइसेंसधारी भी यह जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

कर्मचारियों की आयु के संबंध में, यदि कोई लाइसेंसधारी 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो आबकारी अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत तीन माह तक कारावास और/या ₹ 50,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया था। अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान दो एल1 लाइसेंसधारियों ने अपने गोदामों में 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को नियोजित किया था। हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंसधारी के आवेदन पर विचार एवं अनुमोदन करते समय इस तथ्य की उपेक्षा की गयी।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह मुद्दा लाइसेंसधारियों के समक्ष उठाया गया था और दोनों ही मामलों में धारा 13(1) (जी) का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी ने बताया कि उपरोक्त कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे और उनका काम शराब के काम से संबंधित नहीं था। लाइसेंसधारियों का यह जवाब कि ये कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 24 लाइसेंसधारी के परिसर में 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रोजगार पर रोक लगाती है, भले ही नौकरी की प्रकृति कुछ भी हो।

अनुशंसा 3.4: कमियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए लाइसेंसधारी के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.8 एल1 लाइसेंसधारियों से जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्राप्त किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

लाइसेंस के नियमों और शर्तों के साथ पठित दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 50 के अनुसार, एल1 लाइसेंसधारी को ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की जमानत के साथ एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करना होगा।

2017-2021 की अवधि के लिए 11 नमूना जांच किए गए एल1 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि लाइसेंसधारक ने 36 में से 10 मामलों में जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड जमा नहीं की थी। 12 अन्य मामलों में, जमानत या तो संबंधित कंपनी, उसी कंपनी के निदेशक या कंपनी के कर्मचारी द्वारा दी गई थी। इस तरह के ज़मानत बांड को स्वीकार करना नियमों के विरुद्ध था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि संबंधित कंपनी, उसी कंपनी के निदेशक या कंपनी के कर्मचारी द्वारा दी गई जमानत को स्वीकार करने में दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 50 का कोई उल्लंघन नहीं था क्योंकि लाइसेंसिंग प्राधिकरण इससे संतुष्ट था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि अधिकांश एल1 लाइसेंसधारी पुराने थे और दिल्ली में पिछले कई वर्षों से अपना संचालन जारी रखे हुए थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ज़मानत न लेना नियम की भावना का उल्लंघन करता है जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र आश्वासन प्राप्त करना है। आबकारी विभाग का कर्तव्य ज़मानत बांड का ऐसा प्रारूप तैयार करना था जो नियम की वास्तविक आवश्यकता का

पालन कर सके। हालांकि, विभाग एक फुल प्रूफ ज़मानत बांड विकसित करने में विफल रहा जो नियम की वास्तविक भावना का पालन कर सके।

3.9 लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए बिना एल1एफ लाइसेंस जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, आवेदक को "वार्षिक खातों की एक सत्यापित प्रति और विधिवत लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, अंतिम लेखा अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे लेखा परीक्षित वार्षिक खाते / बैलेंस शीट उपलब्ध हैं" जमा करना आवश्यक है। नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि तीन नमूना-जांच किए गए एल1एफ लाइसेंसधारियों में से किसी ने भी वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। हालांकि आबकारी विभाग द्वारा बिना किसी आपत्ति के लाइसेंस जारी कर दिया गया था।

सरकार ने अपने जवाब में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कोविड लॉकडाउन के कारण, वर्ष 2020-21 के लिए नीति में अनुमोदित किसी अन्य दस्तावेज की मांग के बिना केवल शपथ पत्र के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में नीति नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अधिनियम और नियमों के उल्लंघन का कोई कारण नहीं है।

3.10 बिक्री डेटा और थोक बिक्री मूल्य (डब्ल्यूएसपी) प्रस्तुत किए बिना एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी करना

एल1 लाइसेंस शर्तों के अनुलग्नक-बी के अनुसार, लाइसेंस के आवेदक को पिछले दो वर्षों के दौरान पूरे भारत में वास्तविक बिक्री आंकड़े और एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी) घोषित करने वाले प्रत्येक ब्रांड के लिए एक हलफनामा देना होगा (चाहे उसका ईडीपी किसी भी मूल्य वर्ग में आता हो)।

2017-21 की अवधि के लिए 11 एल1 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि केवल तीन लाइसेंसधारियों ने वास्तविक बिक्री के आंकड़े और अन्य राज्यों के ईडीपी का विवरण दिया था जैसा कि परिशिष्ट-बी की क्रम संख्या-1 कहा गया था। यहां तक कि इन तीन लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण कुछ वर्षों में पूर्ण[31] नहीं थे/ कुछ वर्षों में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अन्य ने कहा है कि मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार

[31] सभी ब्रांडों के लिए सभी राज्यों के बिक्री आंकड़ें और ईडीपी प्रदान नहीं किये गये थे।

इसकी आवश्यकता नहीं है या यह एल1 लाइसेंसधारी के नियमों और शर्तों के पैरा 2.3 (ई) (iv) और 7.4 (ए) (i) के अनुसार लागू नहीं है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तों के पैरा 7.4 (ए) (i) के अनुसार, लाइसेंसधारी ईडीपी घोषित करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि कुछ प्रकार की शराब की एमआरपी की निर्धारित सीमा उपरोक्त खंड में दी गई सीमा को पार कर जाती है। इसके अलावा, सरकार ने एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तों के खंड 2.3 (ई) को संदर्भित किया, जहां विभिन्न श्रेणियों के लिए एमआरपी रेंज निर्धारित की गई थी, जिसके लिए बिक्री के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं थी। लाइसेंसिंग वर्ष 2021-22 में मुफ्त[32] ईडीपी नीति को हटा दिया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये दो शर्तें पिछले वर्षों में बिक्री के आंकड़ों की एक निश्चित संख्या और एमआरपी मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध के लिए मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के तहत लाइसेंसधारी की पात्रता से संबंधित नहीं हैं। ये शर्तें मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के तहत आने वाले आवेदक को परिशिष्ट-बी की क्रम संख्या 1 में मांगे गए विवरण देने से छूट नहीं देती हैं। नियमों और शर्तों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि कुछ आवेदकों को परिशिष्ट बी के पैरा 1 (बिक्री के आंकड़े और अन्य राज्यों में ईडीपी) में विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि परिशिष्ट बी के पैरा 2 (भारत में न्यूनतम ईडीपी) में उल्लिखित है।

इसी प्रकार, दिल्ली/अखिल भारतीय और अन्य राज्यों में जहां पिछले दो वर्षों में ब्रांड बेचा गया है, लाइसेंस की शर्तों के लिए एल1एफ लाइसेंसधारकों को बिक्री डेटा (परिशिष्ट सी, भाग-II), ब्रांड के लिए प्रति मामले लैंडिंग मूल्य और ब्रांड के ब्रांड-वार प्रचलित डब्ल्यूएसपी (परिशिष्ट सी, भाग-III) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तीन चयनित एल1एफ लाइसेंसधारियों से संबंधित ब्रांडों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि दो[33] लाइसेंसधारियों ने अन्य राज्यों में बिक्री के संबंध में डेटा प्रदान किया। एक लाइसेंसधारी[34] ने वर्ष 2017-21 के लिए अपने ब्रांडों के लिए बिक्री डेटा प्रस्तुत

---

[32] निःशुल्क ईडीपी नीति वह प्रथा है जहाँ एक थोक लाइसेंसधारी एमआरपी एक निश्चित स्तर से ऊपर अर्थात ब्हिस्की के लिये ₹ 400 प्रति बोतल होने पर अपने एक्स डिस्टिलरी मूल्य की घोषणा करने के लिये स्वतंत्र है। जिन ब्रांडों में इसकी कीमत इस स्तर से नीचे है, आबकारी विभाग दिल्ली में ईडीपी की माँग करता है जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है।

[33] ब्रिन्डको सेल्स और आर्यन वाइंस

[34] इंडोस्पिरिट वितरण

नहीं किया था। अन्य राज्यों में डब्ल्यूएसपी की घोषणा के संबंध में किसी भी लाइसेंसधारी ने अन्य राज्यों में प्रचलित डब्ल्यूएसपी प्रस्तुत नहीं किया था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विदेशी शराब के संबंध में विभिन्न राज्यों के डब्ल्यूएसपी की आवश्यकता नियम और शर्तों में कहीं भी निर्धारित नहीं की गई थी। कथन गलत है क्योंकि एल1एफ (2017-18 से 2020-21) के नियमों और शर्तों के अनुसार अन्य राज्यों में डब्ल्यूएसपी देते हुए संबंधित अनुलग्नक सी के भाग III में एक घोषणा की आवश्यकता थी। इसके अलावा, 2019-20 से इस संबंध में एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

3.11 "बाल्टिका 9" बियर की आपूर्ति के लिए एल1एफ लाइसेंस देने में अनियमितता

विदेशी शराब का निर्माता अपने शराब ब्रांडों के वितरण और बिक्री के लिए भारत में एक प्रमुख आयातक को प्राधिकृत करता है। यह प्रमुख आयातक आमतौर पर क्षेत्र-वार वितरकों को शराब की बिक्री के लिए अधिकृत करता है। आमतौर पर ये क्षेत्रीय वितरक दिल्ली में एल-1एफ लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं।

आबकारी विभाग ने आर्यन वाइन को वर्ष 2020-21 के लिए बाल्टिका बीयर के लिए एल1एफ लाइसेंस जारी किया। आर्यन वाइन को वोस्को बेवरेजेज द्वारा बाल्टिका बीयर के एकमात्र वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे दिल्ली में बाल्टिका बीयर की बिक्री और विपणन तथा लेबल पंजीकरण के लिए प्रमुख आयातक (वीशा फूड एंड बेवरेजेज) द्वारा अधिकृत किया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां देखीं:

- वोसको बेवरेजेज ने आर्यन वाइन को 2020-24 की अवधि के लिए बाल्टिका बीयर के एकमात्र वितरक के रूप में नियुक्त किया, हालांकि, जिस अवधि के लिए प्रधान आयातक को ब्रांड वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया था, उसके प्राधिकार के बारे में पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार वोसको बेवरेजेज ने आर्यन वाइन को किस आधार पर चार साल के लिए नियुक्त किया यह स्पष्ट नहीं है।
- वोसको बेवरेजेज ने 1 जुलाई 2020 को आर्यन वाइन को बाल्टिका बीयर का एकमात्र वितरक नियुक्त किया, हालांकि, वोसको बेवरेजेज को केवल 2 जुलाई 2020 को ही प्रधान आयातक द्वारा अधिकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने लाइसेंस फ़ाइल में यह भी देखा कि बाल्टिका बीयर पर एक लेबल में मुख्य आयातक के रूप में 'वीशा फूड एंड बेवरेजेज' का उल्लेख किया गया था और दूसरे लेबल में 'वोस्को बेवरेजेज' का प्रमुख आयातक के रूप में उल्लेख किया गया था। इस अस्पष्टता और गलत सूचना का अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उत्पाद से संबंधित कार्रवाई हो सकती हैं। इस अनियमितता को आबकारी विभाग द्वारा अनदेखा किया गया था और ब्रांड को उचित कार्रवाई के बिना मंजूरी दे दी गई।

उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में, सरकार ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया है।

3.12 परिसर/विक्रेता का कानूनी कब्जा सुनिश्चित किए बिना अनियमित रूप से लाइसेंस

लाइसेंस शर्तों के लिए आवश्यक है कि दुकान/परिसर वेंड/एचसीआर लाइसेंसधारक के कानूनी कब्जे में हों, अर्थात् लीज एग्रीमेंट को लागू स्टांप शुल्क के साथ विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **एल 6 (निगम वेंड):** 2017-21 की अवधि के लिए जिन आठ एल6 लाइसेंसधारियों के रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे उनमें से छः लाइसेंसधारियों के पंजीकृत पट्टा समझौते फाइल में उपलब्ध नहीं थे।

  उपरोक्त दिए गए छः मामलों में से एक में लाइसेंसधारी द्वारा दो व्यक्तियों से 2006 में दो दुकानों को किराए पर लिया गया था जिन्हें ये दुकानें संपदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थीं और किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जानी थी। इस प्रकार, इन दुकानों को शराब की बिक्री के लिए लाइसेंसधारी को अनियमित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। लाइसेंस शर्तों के लिए यह भी आवश्यक है कि संपत्ति सभी कानूनी विवादों से मुक्त होनी चाहिए, हालांकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार सराय पीपल थला में डीएसआईडीई का एक एल6 वेंड वर्ष 1992 से मुकदमेबाजी के तहत पाया गया था। संपत्ति की मुकदमेबाजी की स्थिति के बावजूद, आबकारी विभाग द्वारा इस संपत्ति पर बिक्री की अनुमति दी गई।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एक हलफनामा लिया गया था कि "जिस परिसर में एल6 को खोलने का प्रस्ताव था, उस परिसर के मालिक और निगम के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आबकारी विभाग इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा"।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल शपथ पत्र लेने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि मालिक का परिसर पर कानूनी कब्जा था और नवीनीकरण शर्तों के अनुसार लाइसेंस जारी करने से पहले वैधता की जांच करना आबकारी विभाग का कर्तव्य था।

- **एल7 (निजी विक्रेता):** चार एल7 लाइसेंसधारियों में से जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, एक लाइसेंसधारी का लीज एंग्रीमेंट 2017-2021 की अवधि के लिए फाईल में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सभी चार वर्षों (2017-21) के लिए एक अन्य लाइसेंसधारी का लीज एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं था, जबकि तीसरे लाइसेंसधारी का लीज एग्रीमेंट दो वर्षों (2019-21) के लिए पंजीकृत नहीं था।
- **एल10 (शॉपिंग मॉल में निजी विक्रेता):** आठ लाइसेंसधारियों में से, जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, सभी चार वर्षों (2017-21) के लिए सात लाइसेंसधारियों का पट्टा अनुबंध विधिवत रूप से पंजीकृत नहीं था।

सरकार ने एल7 और एल10 के अपने जवाब में कहा कि ठेका के संबंधित परिसर की किराया अवधि एक वर्ष से कम (11 महीने) थी, इसलिए इन किराया अनुबंधों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जाना था।

जवाब सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी दुकानों की किराया अवधि एक वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार इन दुकानों के किराए/पट्टा अनुबंध को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना था। इसके अलावा, पंजीकरण लाइसेंस की एक शर्त है।

- **होटल, क्लब एवं रेस्तरां (एचसीआर):** जिन 11 लाइसेंसधारियों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, उनमें से चार लाइसेंसधारियों के पट्टा अनुबंध विधिवत रूप से पंजीकृत नहीं थे जबकि एक लाइसेंसधारी के मामले में, 2017-21 अवधि के लिए फाईल में कोई पट्टा अनुबंध उपलब्ध नहीं था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लेखापरीक्षा दल द्वारा संदर्भित पट्टा अनुबंध 11 माह से कम की अवधि के लिए थे, इसलिए इन किराया अनुबंधों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जाना था।

जवाब गलत है क्योंकि सभी प्रस्तुत समझौते 11 महीने से अधिक की अवधि के लिए थे जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है।

एक उदाहरण में, एल-10 लाइसेंसधारी ने आबकारी शुल्क विभाग को एक संदिग्ध जाली पट्टा विलेख प्रस्तुत किया था और आबकारी शुल्क विभाग ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। लाइसेंसधारी ने मूल लीज अवधि 15 अप्रैल 2012 से 14 अप्रैल 2017 से 15 अप्रैल 2012 से 14 अप्रैल 2021 में हेरफेर करके एक पुराने लीज डीड की फोटो कॉपी में हेराफेरी की थी।

इस मामले में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

अनुशंसा 3.5: संदिग्ध जाली दस्तावेज की स्वीकृति आवकारी विभाग की ओर से उचित तत्परता की कमी को दर्शाता है। इस मामले में उचित जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.13 आग और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ बीमा सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के लिए आवश्यक है कि लाइसेंस प्राप्त परिसर का आग और प्राकृतिक खतरों के खिलाफ विधिवत रूप से बीमा किया जाएगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **एल6 (निगम वेंड):** आठ एल6 लाइसेंसधारियों में से जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, लाइसेंस जारी करने के बाद से किसी भी लाइसेंसधारक ने बीमा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।
- **एल7 (निजी विक्रेता):** 2017-21 की अवधि के लिए चार एल7 लाइसेंसधारियों के संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:
  - चारों लाइसेंसधारियों ने 2020-21 के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं दी।
  - एक लाइसेंसधारी के मामले में, फाईल में शेष तीन वर्षों की कोई बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

- एक अन्य लाइसेंसधारी की फाइल में वर्ष 2018-19 के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं मिली।
- तीसरे लाइसेंसधारी की फाइल में 2018-20 की अवधि के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं मिली और,
- चौथे लाइसेंसधारी ने 2017-21 की अवधि के दौरान जून 2017 से जून 2018 तक बीमा पॉलिसी जमा की।

- **एल10 (शॉपिंग मॉल में निजी विक्रेता):** 2017-21 की अवधि के लिए आठ एल10 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि किसी भी लाइसेंसधारी ने 2020-21 की अवधि के लिए कोई बीमा पॉलिसी प्रदान नहीं की थी, इन आठ लाइसेंसधारियों की फाइल में 2018-20 के लिए बीमा पॉलिसी नहीं मिली थी और पांच लाइसेंसधारियों ने 2017-18 के पूरे वर्ष के लिए बीमा पॉलिसी जमा नहीं की थी।

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईएससीआईएमएस पोर्टल के लागू होने के बाद 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण (एल7, एल10 के लिए 30 सितंबर 2021 तक और एल6 के लिए 16 नवंबर 2021 तक)- केवल ऑनलाइन पोर्टल से किया जा रहा था जहां लाइसेंसधारक को अग्नि बीमा, पट्टा समझौते और घोषणाओं के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करके विवरण प्रस्तुत करना था। विभाग द्वारा विवरण की जाँच और सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि लेखापरीक्षा दल ने इन दस्तावेजों को ईएससीआईएमएस पोर्टल पर सत्यापित नहीं किया है।

  जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रदान की गई ईएससीआईएमएस अभिलेख में उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं था और सरकार ने जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। विभाग को जारी किए गए 16 अनुस्मारकों (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बावजूद, लेखापरीक्षा को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान नहीं कराए गए थे।

- **एचसीआर:** 11 लाइसेंसधारियों (2017-21) में से जिनकी फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गईं, दो लाइसेंसधारियों की फाइलों में आग, प्राकृतिक खतरे आदि के खिलाफ बीमा नहीं पाई गईं। इसके अलावा, कई अनुस्मारकों के बावजूद एचसीआर फाइलों के ईएससीआईएमएस अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इन सभी प्रकरणों में आबकारी विभाग ने इन लाइसेंसधारियों के लाइसेंस की शर्तों पर विचार किए बिना ही उनके लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किए थे। यह लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदकों की पात्रता के सत्यापन की अपनी सबसे प्राथमिक भूमिका में आबकारी विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि दस्तावेज ईएससीआईएमएस पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 16 अनुस्मारकों (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बाद भी विभिन्न लाइसेंसधारियों के लिए ईएससीआईएमएस पोर्टल तक पहुंच नहीं थी न ही लेखापरीक्षा को डाउनलोड दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाईं थीं।

3.14 सीसीटीवी सिस्टम सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना

खुदरा विक्रेताओं की नवीनीकरण शर्तों की क्रम संख्या 5 के अनुसार लाइसेंसधारियों को कम से कम 50 मीटर की कवरेज वाली सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित करने और अच्छी कामकाजी स्थिति में 30 दिनों की अभिलेखीय अवधि स्थापित करने तथा नवीनीकरण आवेदन के साथ इस संबंध में एक ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए चार एल7 और आठ एल10 लाइसेंसधारियों में से 11 लाइसेंसधारियों ने घोषणा प्रस्तुत की, परंतु 2017-18 के दौरान तथा शेष मामलों में, फाइल में ब्यौरे नहीं पाए गए। हालांकि, आबकारी विभाग से बिना किसी आपत्ति के इन सभी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस नियमित रूप से नवीनीकृत किए गए थे।

सीसीटीवी सिस्टम के ठीक से काम न करने से आबकारी विभाग के लिए ओवरचार्जिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों को दूर करना मुश्किल होगा। छापेमारी और निरीक्षण के दौरान साक्ष्य एकत्र करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रवर्तन छापे के दौरान यह भी देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं था जो नियमों के उल्लंघन को साबित करने में मदद कर सकता था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंसधारी दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अनुसार आवश्यक विवरण घोषित करते हैं, जिसमें दुकान के परिसर में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना और उचित संचालन शामिल है। सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग से शपथपत्र देना अनिवार्य नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 में सीसीटीवी प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है, यहां तक कि जवाब के साथ संलग्न शपथपत्र प्रोफार्मा की नमूना प्रति में सीसीटीवी प्रणाली से संबंधित बिंदु शामिल नहीं थे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी को नवीनीकरण शर्तों के अनुसार कम से कम 50 मीटर की कवरेज वाले सीसीटीवी कैमरे सिस्टम की स्थापना और अच्छी तरह काम करने की स्थिति में 30 दिनों की अभिलेखीय अवधि का शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

3.15 लाइसेंस के नवीकरण के लिए परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में घोषणा के बिना लाइसेंस जारी करना

2017-21 की अवधि के लिए नवीनीकरण की शर्त के अनुसार, एल7 और एल10 लाइसेंसधारी को 15 शर्तों के संबंध में एक ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है, जैसे 'दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/भागीदारों/मालिक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; कंपनी/फर्म के निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के पास शराब का कोई थोक लाइसेंस या कोई अन्य खुदरा लाइसेंस नहीं है; लाइसेंस प्राप्त परिसर का विधिवत रूप से बीमा किया गया है; और कंपनी/फर्म के निदेशक/भागीदारों/मालिक आबकारी विभाग आदि द्वारा जारी सभी निर्देशों/आदेशों का पालन करेंगे। इसके अलावा नवीनीकरण शर्तों के अनुसार आवेदक को शपथपत्र प्रस्तुत किए बिना नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 2017-21 की अवधि के लिए चयनित आठ एल10 लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि 2018-21 की अवधि के लिए फाइलों में शपथपत्र का कोई दस्तावेज नहीं मिला। इसके अतिरिक्त 2017-21 की अवधि के लिए चयनित चार एल7 लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017-18 में केवल तीन लाइसेंसधारियों ने यह 15-सूत्रीय शपथपत्र दिया था, और एक लाइसेंसधारक ने वर्ष 2019-20 के लिए 5-सूत्रीय शपथपत्र दी थी, और बाकी लाइसेंसधारियों की फाइलों में शपथपत्र का कोई दस्तावेज नहीं मिला। बिना घोषणा पत्र के लाइसेंस जारी करना उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईएससीआईएमएस पोर्टल के लागू होने के बाद 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण (एल7, एल10 के लिए 30 सितंबर 2021 तक और एल6 के लिए 16 नवंबर 2021 तक) केवल ऑनलाइन पोर्टल से किया जा रहा था जहां लाइसेंसधारक को अग्नि बीमा, पट्टा समझौते और

ब्यौरे के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करके विवरण प्रस्तुत करना था। विभाग द्वारा विवरण की जांच और सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि लेखापरीक्षा दल ने इन दस्तावेजों को ईएससीआईएमएस पोर्टल पर सत्यापित नहीं किया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रदान की गई ईएससीआईएमएस के अभिलेख में उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं था, और सरकार ने जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। विभाग को जारी किए गए 16 अनुस्मारक (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बावजूद, लेखापरीक्षा को उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.16 पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन के बिना लाइसेंस जारी करना

एचसीआर लाइसेंस के आवेदकों को आवेदन के साथ, पर्यटन विभाग (प.वि.) का अनुमोदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। 11 एचसीआर लाइसेंसधारियों में से जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, तीन लाइसेंसधारियों द्वारा पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, आबकारी विभाग ने इन तीनों में से एक लाइसेंसधारी के मामले में दस्तावेज प्राप्त किए बिना ही लाइसेंस जारी किया।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

अनुशंसा 3.6: लाइसेंस जारी करते समय विभिन्न नियमों और विनियमों के चयनात्मक पालन पर सख्ती से कार्यवाई की जानी चाहिए और विभिन्न प्रकार की लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही इस संबंध में जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

3.17 निष्कर्ष

आबकारी विभाग ने कई लाइसेंसधारियों (थोक, खुदरा और एचसीआर) को दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों तथा शर्तों के अनुसार आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना लाइसेंस जारी किए। विभाग ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन करते हुये केवल एक शपथपत्र लिया जिसके आधार पर यह निर्णित किया गया कि लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारियों के अपराधिक इतिहास, शोधनक्षमता आदि की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ज़मानत

बांड, निष्पादन रिपोर्ट आदि लिए बिना एल1 लाइसेंस जारी किए गए। खुदरा लाइसेंसधारी (एल6, एल7 और एल10) तथा एचसीआर को जारी लाइसेंस के संबंध में, आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी किए थे कि लाइसेंसधारी ठेके/परिसर के कानूनी कब्जे में थे। यहां तक कि बीमा और अनिवार्य घोषणा पत्रों के दस्तावेजों की भी जांच नहीं की गई।

आवेदकों द्वारा पिछले वर्षों के अनिवार्य बिक्री डेटा, डब्ल्यूएसपी विवरण आदि प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी किए गए थे। अगले वर्ष बेहतर विनियमन एवं आबकारी राजस्व अधिकतम करने हेतु बेहतर नीति तैयार करने लिए ऐसे डेटा सरकार के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, नियमों तथा लाइसेंस के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में, संबंधित पार्टियों (सामान्य निदेशकों वाले) को कई लाइसेंस जारी किए गए थे।

नियमों और विनियमों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किए बिना लाइसेंस जारी करना एक गंभीर मुद्दा है। इस तरह की प्रथा से लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारण के हाथों में विवेकाधीन शक्तियां आ सकता है और बेईमानी से व्यवहार हो सकता है।